



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082025-265237
CG-DL-E-06082025-265237

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3528]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2025/श्रावण 15, 1947

No. 3528]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2025/SHRAVANA 15, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे(निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

का.आ. 3614(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008, की धारा 2 के खण्ड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (4) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य—निष्पादन, अनुपालन, प्रबन्धन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित राज्य में समक्ष प्राधिकारी के रूप में कार्य—निष्पादित करें।

तालिका

क्रमांक	समक्ष अधिकारी	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4
1	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बाराबंकी	उत्तर प्रदेश	अकबरपुर — बाराबंकी (161 किमी.)

[फा. सं. 190-W/Land/Misc./Ayodhya]

श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-द्वितीय

MINISTRY OF RAILWAYS**[Northern Railways(Construction Organization)]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th August, 2025

S.O. 3614(E).—In exercise of the power conferred by clause (7A) of section 2 of The Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the Competent Authority in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publications of this notification in the official Gazette.

TABLE

S.No.	Competent Authority	State	Name of railway Project
1	2	3	4
1	Special Land Acquisition officer, Barabanki	Uttar Pradesh	Akbarpur-Barabanki (161Km) doubling

[F. No. 190-W/Land/Misc./Ayodhya]

SHYAM SINGH, Chief Administrative Officer/Construction-II

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

का.आ. 3615(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008, की धारा 20 एफ (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (4) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य—निष्पादन, अनुपालन, प्रबन्धन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित राज्य में समक्ष प्राधिकारी के रूप में कार्य—निष्पादित करें।

तालिका

क्रमांक	समक्ष अधिकारी	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4
1	जिला अधिकारी, बाराबंकी	उत्तर प्रदेश	अकबरपुर — बाराबंकी (161 किमी.)

[फा. सं. 190-W/Land/Misc./Ayodhya]

श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण-द्वितीय

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2025

S.O. 3615(E).—In exercise of the power conferred by Section 20F(6) of The Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the Arbitrator in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

TABLE

S. N	Arbitrator	State	Name of railway Project
1	2	3	4
1	District Magistrate, Barabanki.	Uttar Pradesh	Akbarpur-Barabanki (161Km.) doubling

[F. No. 190-W/Land/Misc./Ayodhya]

SHYAM SINGH, Chief Administrative Officer/Construction-II